हिमाचल प्रदेश बारहवीं विधान सभा

अष्टम् सत्र

समाचार भाग-1

संख्याः 78

सोमवार, 6 अप्रैल, 2015/16 चैत्र, 1937(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

समय : 2.00 बजे (अपराह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री बृज बिहारी लाल बुटेल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

02.00 PM

1. **प्रश्नोत्तरः**

(I) **तारांकित प्रश्नः**

तारांकित प्रश्न संख्या 1969, 1971 से 1980 तक के उत्तरों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए। माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण तारांकित प्रश्न संख्या 1970 का उत्तर सभा पटल पर रखा समझा गया। तारांकित प्रश्न संख्या 1981 से 2007 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(तारांकित प्रश्न संख्या 1977 के उत्तर से संतुष्ट न हो कर विपक्ष के माननीय सदस्यों ने 2.52 बजे अपराह्न सदन से बहिर्गमन किया।)

(ii) **अतारांकित प्रश्नः**

अतारांकित प्रश्न संख्या 877 से 882 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

(विपक्ष के माननीय सदस्य 3.00 बजे अपराह्न सदन में पुनः उपस्थित हुए।)

03-00 PM

2. साप्ताहिक शासकीय कार्यसूची बारे वक्तव्यः

श्री वीरभद्र सिंह, मुख्य मन्त्री ने वर्तमान सप्ताह की शासकीय कार्यसूची से सदन को अवगत करवाया।

03-03 PM

3. सदन की समितियों के प्रतिवेदनः

(1) **श्री अनिरूद्ध सिंह, सदस्य, लोक उपक्रम समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति का **39वां कार्रवाई प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि समिति के चतुर्थ मूल प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2013-14) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित तथा **हिमाचल प्रदेश एग्रो इण्डस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड** से सम्बन्धित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी।

(2) **श्री खूब राम, सभापति, कल्याण समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखीः-

(i) समिति का **17वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) जोकि सुनिश्चित रोजगार के लिए योग्यता बढ़ाने हेतु प्रशिक्षण योजना की संवीक्षा पर आधारित है तथा **सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग** से सम्बन्धित है; और

(ii) समिति के **18वें मूल प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2009-10) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर 45वें कार्रवाई प्रतिवेदन (ग्यारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2011-12) में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण** जोकि **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है ।

(3) **श्री कर्ण सिंह, सभापति, ग्रामीण नियोजन समिति (वर्ष 2014-15)** ने समिति का **15वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2014-15) जोकि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन की समीक्षा पर आधारित है की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर रखी ।

03-05 PM

4. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्तावः

श्री सुरेश भारद्वाज ने "दिनांक 2 अप्रैल, 2015 की रात्रि को हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के Hotel Holiday Home के परिसर में गोली चलने से उत्पन्न स्थिति की ओर **मुख्य मन्त्री** का ध्यान आकर्षित किया।"

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

श्री सुरेश भारद्वाज ने स्पष्टीकरण पूछा।

माननीय मुख्य मंत्री ने उत्तर दिया।

03.20 PM

5. विधायी कार्यः

सरकारी विधेयकों पर विचार-विमर्श एवं पारण

(i) **माननीय मुख्य मंत्री** ने प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015(2015 का विधेयक संख्यांक 3) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बने।
खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

मुख्य मंत्री ने यह भी प्रस्ताव किया कि शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

शिमला की सड़कों का उपयोग करने वालों तथा पैदल चलने वालों के लिए (लोक सुरक्षा और सुविधा) संशोधन विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 3)पारित हुआ।

माननीय **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

बिल पर खण्डशः विचार हुआ।
खण्ड 2 विधेयक का अंग बनें।

माननीय **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्री** ने प्रस्ताव किया कि हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) को पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकार।

हिमाचल प्रदेश ग्राम शामलात भूमि निधान और उपयोग (संशोधन) विधेयक, 2015 (2015 का विधेयक संख्यांक 4) पारित हुआ।

03-25 PM

6. नियम-324 के अन्तर्गत विशेष उल्लेखः

श्री महेश्वर सिंह और श्री रविन्द्र सिंह सदस्यों द्वारा नियम 324 के अन्तर्गत विषय उठाए गए तथा संबंधित मंत्रियों द्वारा उनके उत्तर दिए गए।

03-40 PM

7. नियम-130 के अन्तर्गत प्रस्तावः

श्री सुरेश भारद्वाज ने निम्न प्रस्ताव किया एवं चर्चा किः

"यह सदन सरकार की वर्तमान पन-विद्युत ऊर्जा नीति पर विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लियाः-

1. डॉ0 राजीव बिन्दल

2. श्री रिखी राम कौंडल
3. श्री हंस राज
4. श्री महेश्वर सिंह
5. प्रो0 प्रेम कुमार धूमल, नेता प्रतिपक्ष
6. श्री जगत सिंह नेगी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय

माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री ने उत्तर दिया।

(**माननीय बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा मंत्री के उत्तर से सन्तुष्ट न होकर सायं 6.10 बजे विपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया**)

माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने विपक्ष के बहिर्गमन का खण्डन किया।

सदन की बैठक अपराह्न 6.12 बजे मंगलवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2015 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक स्थगित हुई ।